केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार.
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA.

फा.सं.- ओएल-18/1/2021-ओएल-एचओ-सीपीसीबी-एचओ/ 538 **दिनांकः 13.01.2025**

आदेश

विषयः माननीय संसदीय राजभाषा समिति की "ध्यान देने योग्य बातें' के निदेशों के अनुक्रम में राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 8 (4) के अधीन "व्यक्तिशः आदेश" प्राप्त समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा शत-प्रतिशत सरकारी कामकाज मूल रूप में हिंदी में किया जाना।

****

जैसा कि विदित है कि यह बोर्ड राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है तथा संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

2. तदनुसार, अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड के 240 हिंदी में "प्रवीणता" प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सभी सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में निष्पादित करने हेतु राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत "व्यक्तिशः आदेश" जारी किए हैं। इसके साथ ही, सभी प्रभाग प्रमुखों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 'जांच-बिन्दु' भी बनाया गया है। तदनुसार, "व्यक्तिशः आदेश" प्राप्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपना शत-प्रतिशत विनिर्दिष्ट कार्य मूल रूप से हिंदी में निष्पादित किया जाना अनिवार्य हैं तथा प्रभाग प्रमुखों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक हैं।

3. ज्ञातव्य है कि "माननीय संसदीय राजभाषा समिति" द्वारा दिनांक 27.12.2024 को इस कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण करने के दौरान इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि बोर्ड के राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अधीन "प्रवीणता" प्राप्त जिन 240 अधिकारियों/कर्मचारियों को "व्यक्तिशः आदेश" जारी किए गए हैं, उनमें से केवल 40 कार्मिक ही अपना शत-प्रतिशत सरकारी कामकाज हिंदी में निष्पादित कर रहे हैं। यह स्थिति अध्यक्ष महोदय के आदेशों के विपरीत है तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रतिकूल है।

4. अतएव, उक्त के दृष्टिगत यह आदेश दिया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत "व्यक्तिशः आदेश" प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना समस्त सरकारी कामकाज अनिवार्य रूप से मूल रूप से हिंदी में निष्पादित करें। इसका उल्लंघन किए जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा और नियम-संगत कार्रवाई की जा सकती है।

क्रमशः.........

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032.
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032.
दूरभाष /Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website: www.cpcb.nic.in

सभी प्रभाग प्रमुख अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत "व्यक्तिश: आदेश" और "प्रवीणता" प्राप्त सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज को मूल रूप से शत-प्रतिशत हिंदी में करें।

(भरत कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

वितरणः

व्यक्तिशः आदेश प्राप्त अधिकारी/कर्मचारीगण - उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष के निजी सचिव - अध्यक्ष महोदय के सादर सूचनार्थ
2. राजभाषा प्रभाग की मास्टर फाइल - अभिलेखबद्ध करने हेतु
3. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग - केंद्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु